न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2024(रसद) (GCMS 2024/330)	27.11.2024	29.01.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये कीटनाशी/बीज निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र चेचाणी पिता राधेश्याम चेचाणी निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– दिनेश कुमार जागा — पैरोकार सरकार
संजय जोशी — विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2019 को सूचना के आधार पर मिरासी मौहल्ला बस्सी में स्थित मकान एवं गोदाम के निरीक्षण के दौरान बीज एवं कीटनाशी विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न पर्चा मौका एवं सूची अनुसार अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त कृत्य किया जाकार बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 व 18 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1), 17 (बी) एवं (डी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं प्रार्थना की गई कि परिशिष्ट–1 अनुसार जब्तशुदा सामग्री को राजसात/नष्टीकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 04.12.2024 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 01.11.2019 को पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से सूचना प्राप्त हुई है कि बरखा ट्रावेल्स पर आई हुई कीटनाशी रसायन सामग्री संदेहास्पद लगने पर जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ पर उक्त सामग्री विपक्षी की होना बताया गया है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा सामग्री विपक्षी से से जब्त नहीं की गई और विपक्षी का जब्तशुदा सामग्री से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार सरकार ने बताया कि तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) व कृषि अधिकारी (फसल) तथा कृषि अधिकारी (सामान्य) के संयुक्त दल द्वारा पुलिस विभाग द्वारा बताये गये मकान एवं मकान के पीछे स्थित गोदाम एवं मिरासी मौहल्ला स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। गोदाम के निरीक्षण के दौरान पाया कि बीज एवं कीटनाशी अधिक मात्रा में था। मौके पर विभिन्न कीटनाशी रसायन, बीज निर्माता कंपनियों के खाली लेबल, खाली बैग में कार्टन, थैले, प्लास्टिक बोटल्स एवं उनके ढक्कन प्लास्टिक कट्टे एवं लकडी के ड्रमों में पाया गया। मौके पर एल्यूमिनियम की बोतलों में केमिकल रसायन पाया गया जिनमें किसी प्रकार को कोई लेबल नहीं था। मौके पर मौजूद सभी अवैध बीज/कीटनाशी को सूचीबद्ध करने कार्यवाही की गई। मौके पर उपलब्ध बीज एवं कीटनाशी का क्षेत्र के निरीक्षकों के द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने आहरित किये एवं उप–निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। विपक्षी से उक्त सामग्री अभिग्रहित की जाकर श्री विनोद कुमार मेनारिया, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी की सुपुर्दगी में दिये गये है। विपक्षी का उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 व 18 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1), 17 (बी) एवं (डी) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–1 अनुसार जब्तशुदा सामग्री को राजसात/नष्टीकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। कृषि अधिकारी द्वारा विपक्षी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–1 के अनुसार अवैध बीज/कीटनाशी अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त अवैध बीज/कीटनाशी के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा न्यायालय को समक्ष किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है, जिससे आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं होना पाया गया है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित पाया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री के संबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 128/2019 दिनांक 03.11.2019 पुलिस थाना बस्सी में दर्ज की जाकर वर्तमान में समक्ष न्यायालय में जैरकार है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा अवैध बीज/कीटनाशी का भण्डारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 व 18 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1), 17 (बी) एवं (डी) का स्पष्ट उल्लंघन करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–1 अनुसार राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी कीटनाशी/बीज निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 01.11.2019 को कृषि अधिकारी द्वारा अप्रार्थी राजेन्द्र चेचाणी पिता राधेश्याम चेचाणी की दुकान एवं गोदाम से जब्त शुदा पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–1 अनुसार राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। कीटनाशी/बीज निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ दिनांक 01.11.2019 को परिशिष्ट–1 अनुसार जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थान बस्सी को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़